

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं S.D.O. मुकाम वायतु
पहलगाय बनाम झण्डे उमा कौर
किस्म मुकदमा नॉ० झण्डे 111,128 RWAET नं. 291/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/09/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>हनीम खॉ</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 RWAET</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>14/10/19</u> को पेश हो।	
14/10/19	<u>प्रार्थी कडेल उपदिपत / विजयश्रीगौरी</u> <u>के नोटिस तामिल क्रम तामिल प्रजापत।</u> <u>इतज्जा डोडर पत्रावली दिनांक 05/02/2020</u> <u>को पेश हो।</u> <u>विजयश्रीगौरी</u> सहायक कलेक्टर (SDO) वायतु	
05/02/2020	<u>प्रार्थी कडेल उपदिपत / विजयश्रीगौरी</u> <u>के नोटिस तामिल क्रम तामिल प्रजापत।</u> <u>इतज्जा डोडर पत्रावली दिनांक 25/02/2020</u> <u>को पेश हो।</u> <u>विजयश्रीगौरी</u> सहायक कलेक्टर (SDO) वायतु	



25/02/2020

संयोजक

25-2-20

प्रार्थी वहील उपस्थित। विपक्षीगणों के
 तामिल कुहा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विभागाध्यक्ष
 विपक्षीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय स्थान
 तीन बार आवान लगाई गई, अंतिम आवान 5:45 PM
 पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर ले कोई
 अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के
 विरुद्ध एडवोकेट डायरेक्टरी मामले में लार्ड जाली हो प्रार्थी
 के अधिवक्ता ही एडवोकेट बरत सुनी गई प्रार्थी के
 अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के प्वाते-
 गरी प्केत लेवा सेव साथे हुए है प्रार्थी व विपक्षीगणों के
 प्केतों के मध्य जो पुरानी माहों व डोनों साथे हुए थे
 जो वर्तमान में माहियों की वजह से विच्छन्न गये हैं।
 जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के प्केतों की सीमाओं का
 सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्कति होने पर विपक्षीगण
 प्रार्थी के प्केतों की सीमाओं को तोड़कर उसमें डामर डूब
 लेते हैं इस वजह से प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य प्केत
 की सीमाओं को लड़ा हमेशा तनाजा बना रहता है।
 इस कारण प्रार्थी को कपने प्केतों की पक्की नेपथमबन्ती
 करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेपथमबन्ती कावेदन
 स्वीकार किया जाकर नेपथमबन्ती क्रोश किया जावे।

कतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर
 प्रार्थी का नेपथमबन्ती कावेदन स्वीकार किया जाकर लह-
 सीलर बावजुद डो डमिशनर नियुक्त किया जाता है व
 सम्बन्धित डो अभिलेख निरिसड डो लडापडु डमिशनर
 नियुक्त किया जाकर क्रोश किया जाता है कि काय स्वयं
 या लडापडु डमिशनर से प्रार्थी के प्वातेगरी प्केतों की
 पक्की नेपथमबन्ती माहों पर डमिशनर खुलड जमाडुराडु है।
 पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली, डो पत्रावली
 फामल सुमाह होडर डजि नम्बर ले डम हो, दाखिल
 दफतर हो।

(Signature)

25.2.2020
सहायक न्यायाधीश
बावजुद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2020/236
राजस्व आवेदन संख्या - 291/19

दिनांक:-

प्रार्थीगण

श्री प्रहलादराम पुत्र विशनाराम
जाति-जाट,
निवासी-आहोणियों बेनिवालों
की ढाणी, माधासर,
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर

बनाम

श्री अशोक कुमार पुत्र भूराराम वगैरा
4 जातियान-जाट, निवासीयान-
आहोणियों बेनिवालों की ढाणी,
माधासर, तहसील-बायतु,
जिला-बाड़मेर

विप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा आहोणियों बेनिवालों की ढाणी पटवार हल्का माधासर के खेत खसरा नम्बर 855/305 रकबा 14.04 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(विवेक व्यास)


उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 31/3/2020

क्रमांक/वाद/2019/237-41

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री प्रहलादराम पुत्र विशनाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री अशोक कुमार पुत्र भूराराम वगैरा 4।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।


25.2.2020
उपखण्ड अधिकारी बायतु